

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 04/2021-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2021

सा. का. नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/99-सीमा-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 जो संख्यांक सा.का.नि. 161(अ) तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में, सूची अ, क्रम सं. 198 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/2/2021-टी.आर.यू.]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 25/99-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999 संख्यांक सा.का.नि. 161(अ) तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 5/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा संख्यांक सा.का.नि 65(अ) तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।